"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/20:(2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013—पौष 21, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2003 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1) (2) के परन्तुक के अंतर्गत आज्ञापक मध्यावधि वृत्ति प्रशिक्षण (Mid-Career Training), Phase-III दिनांक 24-08-2012 को पूर्ण किये जाने पर एवं आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनकी अर्हता दिनांक 01-01-2012 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु.15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री अविनाश चंपावत (सीजी : 2003)	कलेक्टर, कोरिया	कलेक्टर, कोरिया
2.	श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल (सीजी : 2003)	कलेक्टर, रायपुर	कलेक्टर, रायपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/36/2008-AIS-II, दिनांक 21-5-2010 में निहित मार्गदर्शन अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देय तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक 9776/2829/21-ब/छ.ग./2012.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अवध नारायण नारंगे नोटरी, जिला कोरबा (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 07 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1/14/दो गृह/भापुसे/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को दिनांक 29-11-2012 से दिनांक 13-12-2012 तक कुल (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. श्री अग्रवाल को अवकाश अवधि में वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अग्रवाल के अवकाश अवधि में श्री जी. एस. दर्रो, सेनानी, 8वीं वाहिनी, छसबल, राजनांदगांव (छ.ग.) अपने कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, बीजापुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1/24/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. के. पासवान, भापुसे, महानिदेशक, नगरसेना, छत्तीसगढ़ को दिनांक 04-12-2012 से दिनांक 07-12-2012 तक कुल (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08 एवं 09-12-2012 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पासवान आगामी आदेश तक महानिदेशक, नगरसेना, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पासवान को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पासवान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ-1-63/2012/23.— श्री अमिताभ पाण्डा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर को दिनांक 23-10-2012 से 31-10-2012 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21, 22-10-2012 एवं 01-11-2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ पाण्डा, आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक सांख्यिकी, संचालनालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अमिताभ पाण्डा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमिताभ पाण्डा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2012/1355, दिनांक 03-12-2012 के अनुसार निम्नांकित नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2012 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 23-12-2012 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत के बिल्हा के रिक्त वार्ड क्रमांक 8 एवं नगर पंचायत सिरगिट्टी (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	सरगुजा	नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 10
3.	रायपुर	नगर पालिक निगम रायपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 41

(1)	(2)	(3)
4.	बलौदाबाजार	नगर पंचायत टुण्डरा (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
5.	धमतरी	नगरपालिका परिषद् धमतरी के रिक्त वार्ड क्रमांक 34
6.	दुर्ग	नगरपालिक निगम भिलाई के रिक्त वार्ड क्रमांक 66 एवं नगर पंचायत उतई के रिक्त वार्ड क्रमांक 5.
7.	बालोद	नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14 एवं 15
8.	कोण्डागांव	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव के रिक्त वार्ड क्रमांक 5

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2012/1355, दिनांक 03-12-2012 में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2012 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 16-12-2012 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 30 जून 2012 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	कुल पदों का का योग (7)
1.	बिलासपुर	-	-	6	24	30
2.	मुंगेली	-	-	4	17	21
3.	जांजगीर-चाम्पा	-	-	10	33	43
4.	कोरबा	-	1	1	13	15
5.	सूरजपुर	-	-	1	22	23
6.	बलरामपुर	-	-	3	12	15
7.	सरगुजा	-	-	3	27	30
8.	कोरिया	-	-	-	12	12
9.	रायगढ़	-	1	8	126	135
10.	जशपुर	-	-	2	3	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	रायपुर	–	–	8	14	22
12.	बलौदाबाजार	–	1	11	30	42
13.	गरियाबंद	–	–	1	13	14
14.	महासमुन्द	–	1	6	15	22
15.	धमतरी	–	–	4	15	19
16.	बेमेतरा	–	–	3	21	24
17.	दुर्ग	–	–	5	13	18
18.	बालोद	–	–	11	44	55
19.	राजनांदगांव	–	1	10	48	59
20.	कबीरधाम	–	–	3	16	19
21.	कोण्डागांव	–	1	5	10	16
22.	बस्तर	–	–	3	7	10
23.	नारायणपुर	–	–	–	–	–
24.	कांकेर	–	–	5	127	132
25.	दन्तेवाड़ा	–	–	2	–	2
26.	सुकमा	–	1	–	5	6
27.	बीजापुर	2	1	2	149	154
	योग	**2**	**8**	**117**	**816**	**943**

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक डी-15/55/2001/14-2/5145 (A).— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त मंडी क्षेत्रों में कृषि उपज, जैसे, फलों एवं सब्जियों के क्रय एवं विक्रय पर मण्डी शुल्क के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, जो 1 जनवरी 2009 से आगामी आदेश तक प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्रमांक डी-15/55/2001/14-2/5145 (A).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 19th December 2012

No. D-15/55/2001/14-2/5145 (A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempots in whole, the payment of market fees on the sale and purchase of agricultural produce i.e. fruits and vegetables in all mandi areas of the State, with effect from 1st January, 2009 till further order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम-3 के परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 130 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित करता है :—
अनुक्रमांक 131- "HEF (High Effeciency Flooring Dunnage Material IS:1322-1993)".

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-C.G./490 को दिनांक 26-10-2012 से 25-12-2012 (दो माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 01-54/31/स्था./2010.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-10-2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना मुख्यालय परिवर्तन के श्री एच.आर. कुटारे, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित निम्नानुसार प्रभार सौंपा जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना	जहां पदस्थ/प्रभार सौंपा जाता है	अभियुक्ति
1.	श्री एच. आर. कुटारे, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर.	प्रभारी प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर.	मुख्य अभियंता के प्रभार से मुक्त कर पदस्थापना.
2.	श्री एस. व्ही. भागवत, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर.	प्रभारी मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर.	श्री एच. आर. कुटारे मुख्य अभियंता के स्थान पर.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 अनुसार समन्वय में मान. मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम मनोहर पाठक, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 6-67/12/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 के नियम-91 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 धारा-4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम-5 (4) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में निम्न सामाजिक सदस्यों का चयन करते हुए बोर्ड में नामांकित करता है :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)	पदनाम (4)
1.	जगदलपुर	1. श्री दीपकचन्द्र नाथन	सदस्य
		2. श्रीमती शांति तिवारी	सदस्य
2.	बिलासपुर	1. श्रीमती मीना बक्शी	सदस्य
		2. श्रीमती शमशाद गुल कुरैशी	सदस्य
3.	धमतरी	1. श्रीमती ममता रणसिंह	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	दुर्ग	1. श्रीमती पुष्पा पटेल	सदस्य
5.	जांजगीर-चांपा	1. श्रीमती कल्पना केशरवानी 2. श्री भास्कर शर्मा	सदस्य
6.	जशपुर	1. श्रीमती हेमा शर्मा	सदस्य
7.	कवर्धा	1. श्रीमती संगीता जयसवाल 2. श्री दौलतराम कश्यप	सदस्य
	कोरबा	1. श्री छेदीलाल अग्रवाल 2. श्रीमती उर्मिला राठौर	सदस्य
9.	महासमुन्द	1. श्रीमती सुनीता देवांगन 2. श्री संदीप दीवान	सदस्य
10.	कोरिया	1. श्री संजय कुमार गुप्ता 2. श्रीमती शोभा चोदाहा	सदस्य
	राजनांदगांव	1. श्रीमती सरिता सिन्हा	सदस्य
	अम्बिकापुर	1. श्री शिरीष कुमार श्रीवास्तव 2. श्रीमती किरण मिश्रा	सदस्य

उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

उपरोक्त चयन सूत्री अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी अथवा शिकायत की दशा में संबंधित का चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा. इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

2. किशोर न्याय बोर्ड की कालावधि 15 दिसम्बर 2012 से 3 वर्ष के लिये होगी और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम 2 कालावधि के लिए होगी.

3. यह समिति बाल गृह/संप्रेक्षण गृह के परिसर में अथवा जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा निर्धारित स्थान में अपनी बैठक आहूत करेगी. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य की सदस्यता अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी. इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय पद त्याग सकेगा.

4. समिति बच्चों के कल्याण व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत कार्यवाही करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-43/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अंतागढ़ निवेश क्षेत्र, जिला कांकेर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

अंतागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम ईमलीपदर एवं हिमोडा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हिमोडा, अंतागढ़ एवं कलगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कलगांव एवं कुहचे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कुहचे एवं ईमलीपदर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-44/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पलारी निवेश क्षेत्र, जिला बलौदाबाजार का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

पलारी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दतान, कोसमंदी, रसौटा, बिनौरी एवं छेरकाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम छेरकाडीह, बलौदी एवं चोरहाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चोरहाडीह, लकड़ियां, पहंदा, कुकदा एवं दतान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम दतान एवं कोसमंदी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9424/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बीजेपार प. ह. नं. 57	0.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के न्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9912/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	कातुलवाड़ा प. ह. नं. 21	2.863	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत कातुलवाड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9913/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (मकान में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	दोड़के प. ह. नं. 22	07 मकान	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोनचरा प. ह. नं. 3	0.223	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लांन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9323/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पैरी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.639 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	272	0.065
	275/2	0.069
	278/3	0.093
	278/4	0.008
	276	0.089
	278/2	0.057
	279/1	0.008
	279/2	0.093
	279/3	0.012
	280/1	0.101
	281/6	0.032
	281/3	0.085
	282/2	0.049
	347	0.065
	353/1	0.198
	348/2	0.177
	363/2	0.065
	354/1	0.085
	356/3	0.061
	354/2	0.073
	280/2	0.008
	355	0.077
	275/1	0.069
योग	23	1.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के सिंगारपुर माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9324/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मेढ़ा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.622 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.097
1/3	0.121
1/4	0.008
2/1	0.069
2/2	0.177
27/2	0.036
24/1	0.209
24/2	0.121
23	0.125
25	0.125
41/1	0.262

(1)	(2)
44	0.040
221/1	0.173
41/2	0.012
41/3	0.117
43/2	0.065
42	0.069
206/7	0.053
45/1	0.008
43/1	0.065
239/3	0.004
205	0.121
206/3	0.024
204	0.097
203/3	0.093
220	0.049
223	0.210
239/2	0.020
239/1	0.226
181/3	0.065
181/9	0.129
181/1	0.125
181/5	0.153
261	0.149
266/1	0.053
362	0.024
181/2	0.129
269/1	0.028
269/2	0.049
270/1	0.036
305	0.008
270/2	0.097
309	0.121
308	0.024
307/2	0.004
313	0.020
310	0.040
335	0.266
361/2	0.032
219/1	0.129
266/2	0.121
1/1	0.024
योग 52	4.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9325/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़री, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
158/1	0.049
158/4	0.081
161	0.109
162	0.117
163	0.117
165	0.004
206/1	0.117
635	0.012
217	0.133
263	0.345
207	0.093
260	0.032
261	0.008
262	0.202
216/1	0.194
213	0.004
214	0.085
215	0.286
158/5	0.101
योग 19	2.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9326/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-गोड़री, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	266/2	0.040
	266/4	0.073
	266/3	0.052
	264	0.109
	265/2	0.077
	263	0.053
योग	06	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अर्जुनी-सालिक झिटिया माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक/9327/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-तुमड़ीबोड़, प. ह. नं. 03
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.889 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	514/3	0.089
	516	0.089
	517	0.274
	518/2	0.041
	604/2	0.073
	605/1	0.081
	605/2	0.089
	605/17	0.036
	615/1	0.113
	616/1	0.004
योग	10	0.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अंतर्गत कोपेडीह माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9374/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 एकड़

खसरा नम्बर		रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	187	0.11
	195	0.20
	188	0.28
	194/3	0.07
योग	4	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डिलापहरी सिंगपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 नवम्बर 2012

क्रमांक/9375/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-डिलापहरी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 एकड़

खसरा नम्बर		रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	146/2	0.09
	146/3	0.09
	134/1	0.15
योग	3	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डिलापहरी सिंगपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9417/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	698	0.028
	404/1	0.021
	253/1	0.040
योग	3	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अन्तर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9418/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
95	0.165
101/2	0.012
101/3	0.049
101/4	0.020
100/1	0.263
100/2	0.049
100/7	0.004
100/3	0.012
100/4	0.004
103/2	0.020
103/25	0.065
103/27	0.004
103/1	0.053
105	0.285
107/2	0.028
107/1	0.173
106/4	0.008
112/1	0.361
113/1	0.245
114	0.125
129/2	0.113
130/3	0.016
134/1	0.004
129/1	0.024
346/3	0.032
128/5	0.032
133/9	0.004
342/17	0.073
346/1	0.012
347/1	0.016
348/3	0.053
350/1	0.028
385/1	0.097
385/2	0.024
396/23	0.012
396/21	0.028
477/1	0.217
540/6	0.069
540/14	0.185
540/8	0.113
545/2	0.077
545/1	0.049
544/3	0.004
546/2	0.093
548	0.024
549	0.077
550	0.061
602/16	0.053
602/7	0.020
602/9	0.008
602/1	0.295
602/4	0.020
602/6	0.069
602/5	0.105
602/1	0.069
603/2	0.049
604/8	0.101
133/8	0.004
604/6	0.093
604/5	0.097
610	0.085
605	0.398
594/7	0.073
592/7	0.081
592/5	0.016
592/3	0.008
592/8	0.008
592/1	0.024
591	0.178
592/2	0.040
590	0.162
97/1	0.016
133/7	0.024
545/3	0.028
385/5	0.081
567/6	0.004
568/2	0.061
569	0.081
570	0.036
571	0.004
568/1	0.036
96/2	0.077

(1)	(2)
99/10	0.045
99/17	0.028
99/1	0.028
103/12	0.012
128/3	0.004
390	0.036
545/5	0.016
589/2	0.307
572	0.077
99/4	0.016
332/27	0.020
546/1	0.101
93/1	0.077
93/2	0.132
603/3	0.049
541	0.109
102/2	0.065
96/1	0.045
योग 100	7.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अर्जुनी-सालिकझिटिया माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9419/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पैरी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.337 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
233	0.040
234/1	0.045
231/3	0.012
232	0.036
230/2	0.008
231/2	0.008
230/3	0.008
229	0.004
234/2	0.041
245/4	0.012
235/1	0.077
246/2	0.024
235/3	0.020
246/1	0.073
245/1	0.012
245/2	0.016
245/3	0.040
243/2	0.012
252/2	0.085
253	0.004
256/1	0.081
256/2	0.069
259/3	0.065
101/1	0.020
97	0.004
107/1	0.032
107/2	0.065
128/2	0.045
106/2	0.073
125/1	0.004
127	0.040
126/1	0.065
128/1	0.008
106/1	0.032
243/1	0.004
101/4	0.153
योग 36	1.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के पैरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9420/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चिचदो, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	181	0.214
	182/2	0.028
योग	2	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गनेरी से चिचदो मार्ग पर सूखानाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9421/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गनेरी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	163	0.121
	175/1	0.117
	162	0.049
	175/2	0.053
	175/3	0.036
	161	0.032
	166	0.085
	160	0.016
	165	0.150
योग	9	0.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गनेरी से चिचदो मार्ग पर सूखानाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्ष[illegible]नुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंग[illegible] के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 न[illegible]र 2012

क्रमांक/9422/भू-अर्जन/2012.—[illegible]कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मुंजालकला, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.745 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26/1	0.052
	146/2	0.057
	103/1	0.202
	393/2	0.170
	391/3	0.243
	391/5	0.021
योग	6	0.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत बायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक/9423/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कुमरदा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	425/1	0.008
	664/6	0.049
	425/3	0.049
योग	3	0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9660/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
901/1	0.085
687/1	0.028
260/8	0.041
309	0.121
816/2	0.020
667/4	0.061
269/3	0.065
269/4	0.057
343	0.020
107/2	0.024
260/17	0.020

	(1)	(2)
	667/2	0.085
	670/3	0.101
	679/2	0.141
	307/1	0.032
	708/1	0.073
	701/2	0.032
	700/2	0.040
	680	0.024
	701/1	0.020
	705	0.032
	700/1	0.036
	708/2	0.061
	113/1	0.105
	307/3	0.028
	667/1	0.061
योग	26	1.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9661/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीटिकुल, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	8/2	0.323
	104/1	0.267
योग	2	0.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9662/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारपुरी, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.131 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	184	0.024
	183	0.074
	182/2	0.033
योग	3	0.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9663/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-आतरगांव, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	434/5	0.182
योग	1	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेंतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9664/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़री, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.429 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	398	0.072
	401/4	0.216
	418	0.004
	374/4	0.032
	375/5	0.032
	392	0.004
	393/2	0.004
	394/2	0.004
	420/1	0.056
	450	0.040
	390	0.012
	451/1	0.024
	515	0.004
	516/1	0.060
	374/1	0.056
	375/2	0.048
	374/3	0.044
	375/4	0.056
	374/5	0.048
	375/6	0.056
	374/2	0.008
	375/3	0.028
	376/1	0.024
	376/2	0.088
	389/5	0.204
	419	0.004
	391/1	0.020
	453/3	0.020
	513/1	0.008
	399	0.113
	514	0.040
योग	31	1.429

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के गोड़री माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9679/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प. ह. नं. 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.011 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	50/2	0.036
	52	0.085
	51	0.069
	55/1	0.040
	56/2	0.012
	61/3	0.061
	61/8	0.004
	60	0.161
	61/9	0.089
	59/6	0.004
	61/6	0.040
	61/2	0.012
	61/10	0.048
	71/1	0.016
	55/2	0.169
	61/11	0.020
	61/12	0.072
	59/7	0.057
	64/4	0.016
योग	10	1.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के सिंगारपुर माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9680/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-मनेरी, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.965 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1	0.243
150	0.020
36/1	0.012
36/3	0.057
36/2	0.057
35/4	0.041
35/2	0.041
34/1	0.028
40	0.041
33	0.137
30/1	0.125
43/1	0.065
43/2	0.028
45	0.093
44/2	0.077
44/4	0.097
44/3	0.004
49/2	0.162
49/8	0.045
60	0.162
264/6	0.036
264/3	0.089
265/1	0.077
264/10	0.077
264/7	0.028
264/5	0.065
266/1	0.00[illegible]

(1)	(2)
266/2	0.004
7/1	0.012
44/6	0.049
262/1	0.012
262/3	0.012
262/2	0.036
262/5	0.036
276/4	0.004
366/1	0.077
365/1	0.113
365/3	0.077
371/3	0.016
371/1	0.061
371/4	0.073
371/5	0.012
276/5	0.065
271/1	0.065
271/3	0.290
269/2	0.036
271/2	0.004
योग 47	2.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मनेरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9681/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.735 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
28/35	0.081
28/25	0.069
28/24	0.012
28/23	0.036
28/33	0.012
41/9	0.097
33	0.004
35	0.117
38	0.057
39	0.081
28/28	0.012
28/26	0.141
34/1	0.012
28/22	0.004
योग 14	0.735

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के पैरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9682/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आरी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120	0.016
122/1	0.069
210	0.008
121/2	0.016
121/3	0.057
205	0.012
208	0.012
209	0.057
122/2	0.004
207	0.053
225/1	0.032
206/2	0.012
206/3	0.024
226/2	0.016
204	0.004
301/1	0.012
301/2	0.036
301/3	0.036
300/3	0.004
300/1	0.020
297	0.133
367	0.016
226/1	0.016
226/3	0.008
300/2	0.081
296/2	0.049
योग 26	0.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के आरी माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9683/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-केसला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
52/5	0.113
51	0.004
56/1	0.065
56/2	0.069
57/1	0.036
57/2	0.036
58/1	0.057
58/3	0.073
81/2	0.073
79/3	0.045
89/1	0.093
83/3	0.069
83/4	0.024
72/3	0.109
85/2	0.041
85/3	0.069
85/4	0.036
80	0.077
84/1	0.032
67/2	0.133
89/2	0.089
59/9	0.012
116/1	0.089
116/2	0.129
135	0.129
136/3	0.113
147	0.101
148	0.065
151	0.004
161/1	0.041
145/1	0.226
163/1	0.097
162/1	0.117
162/2	0.089
162/3	0.053
165/1	0.109

	(1)	(2)
	181/2	0.073
	181/3	0.081
	206/2	0.061
	190/1	0.101
	182	0.142
	183	0.089
	185/1	0.097
	186/1	0.065
	186/2	0.045
	186/3	0.053
	189	0.008
	185/3	0.081
	184	0.210
	197	0.024
	206/1	0.081
	201/2	0.045
	162/5	0.117
	146/2	0.032
	134/1	0.061
	72/2	0.012
	79/1	0.061
	79/2	0.061
	83/2	0.012
योग	59	4.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के केसला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9684/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आलीखूंटा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.490 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
186/2	0.020
174/1	0.020
174/3	0.085
186/1	0.053
173/1	0.069
184	0.073
183	0.077
197/1	0.190
261/2	0.089
258	0.226
308/1	0.012
256/2	0.121
256/1	0.081
309	0.105
311	0.129
318/2	0.049
320	0.117
317/1	0.004
319	0.004
341/5	0.041
285/1	0.036
240/1	0.294
328/1	0.073
280/3	0.065
280/1	0.069
342/3	0.069
280/2	0.129
280/4	0.081

(1)	(2)
308/2	0.109
योग 29	2.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के आलीखूंटा माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9685/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगारपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.005 हैक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
2/3	0.020
4/1	0.121
27/2	0.016
27/5	0.032
2/2	0.085
160/1	0.081
2/4	0.065
160/4	0.069
2/7	0.153
3/1	0.069
26	0.129
23/2	0.125
32/1	0.069
168	0.113
22/2	0.024
23/1	0.089
22/1	0.049
47/1	0.045
47/2	0.093
21/2	0.049
20/2	0.008
47/3	0.077
48/14	0.053
48/2	0.004
48/5	0.028
98	0.040
167/2	0.008
167/3	0.004
166	0.008
196	0.004
200/4	0.004
160/5	0.012
199/1	0.065
199/2	0.065
200/3	0.016
198/1	0.028
198/2	0.077
197/2	0.008
योग 38	2.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के सिंगारपुर माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9686/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	331	0.052
	332/2	0.008
	324/2	0.016
	324/14	0.180
	324/6	0.024
	319/1, 2, 5	0.168
	149/1	0.060
	259	0.016
	150/2	0.044
	150/1	0.052
	154/2	0.092
	151	0.012
	154/1	0.032
	154/9	0.044
	153/1	0.008
	149/2	0.004
	155/2	0.004
	158/1	0.008
	332/4	0.028
	156	0.044
	157/1	0.128
	148/7	0.016
योग	22	1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के धौराभांठा माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9687/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीहखुर्द, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	485	0.069
	486	0.040
	489	0.028
योग	3	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलीडीह-कुम्ही मार्ग पर आमनेर नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9688/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमी, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	57/11	0.15
	57/9	0.15
	112/1	0.10
योग	3	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सतबहिनी मार्ग में स्थित नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9689/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कुटेलीखुर्द, प. हं. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	233/1	0.02
	233/2	0.03
	232	0.07
योग	3	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमती नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9690/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगारपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	123/3	0.004
	132	0.020
	133/1	0.065
	133/2	0.097
	133/3	0.073
योग	5	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9691/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 19
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.614 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	477/1	0.190
	477/2	0.004
	477/3	0.012
	468/1	0.053
	476/2	0.016
	476/3	0.036
	476/4	0.065
	468/2	0.137
	474/1	0.008
	474/2	0.028
	476/1	0.024
	473	0.041
योग	12	0.614

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बरसनटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9692/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-डोंगरगांव
  (ग) नगर/ग्राम-सालिकझिटिया, प. ह. नं. 21
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.293 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/3	0.189
37/1	0.008
76/7	0.024
35/1	0.109
99/1	0.061
99/2	0.024
150	0.221
98/1	0.145
96/2	0.189
89/2	0.233
73/2	0.012
78	0.077
84/4	0.073
84/2	0.024
84/3	0.028
84/1	0.028
83/1	0.069
83/3	0.089
83/4	0.036
77/10	0.261
76/2	0.285
33/2	0.073
79/3	0.020
89/1	0.241
37/4	0.073
34/1	0.057

	(1)	(2)
	33/1	0.004
	34/3	0.101
	72	0.245
	37/6	0.016
	38	0.093
	41/3	0.081
	41/2	0.036
	100	0.004
	41/4	0.064
योग	35	3.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अर्जुनी-सालिकझिटिया माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्रमांक/9693/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.995 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	176	0.012
	171	0.049
	170/2	0.012
	172/1	0.101
	172/2	0.081
	168/1	0.016
	164/1	0.061
	165	0.045
	167	0.004
	164/2	0.069
	163/1	0.004
	163/2	0.077
	266	0.142
	166/2	0.016
	268/6	0.020
	474/6	0.125
	268/5	0.251
	268/1	0.004
	474/27	0.202
	474/10	0.077
	474/11	0.057
	474/12	0.040
	474/13	0.061
	474/25	0.137
	474/21	0.073
	474/14	0.053
	474/23	0.020
	474/1	0.004
	177/3	0.020
	474/9	0.008
	474/7	0.004
	474/22	0.049
	166/1	0.012
	267/1	0.089
योग	34	1.995

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अर्जुनी सब माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक 207/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 9ए/अ.-82 वष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-262.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.10
6	0.38
9	0.10
13/1	0.19
15	1.61
26	0.15
28	0.16
30	0.01
31	0.25
32	0.06
34	0.04
41	0.51
46	0.23
94/1	0.07
97	0.46
98	0.22
100	0.19
106/2	0.15
160	0.15
163	0.19
167	0.27
168	0.19
183	0.18
188	0.08
190	0.88
191	0.37
193	0.14
200	0.20
202	0.10
203/1	0.15
204	0.29
205	0.24
215	0.04
217	0.23
220	0.48
224	0.29
225	0.29
227/2	0.16
228	0.17
229	0.14
230	0.42
231	0.14
234	0.18
235	0.15
236	0.09
237/1	0.15
238	0.34
244	0.12
247	0.08
251	0.19
262	0.10
264	0.03
268	0.33
269	0.34
273	0.10
275	0.45
277	0.12
278	0.02
279/1	0.34
282/1	0.29
295	0.20
296	0.03
298/1	0.11
301	0.05
302/1	0.02
303	0.10
304/1	0.42

(1)	(2)	(1)	(2)
317	0.11	801	0.13
318	0.70	815	0.69
319	1.22	817	0.10
332	0.04	821	0.29
349	0.37	822	0.33
350	0.34	823	0.24
379	0.01	825/1	0.22
384	0.18	825/2	0.14
386/1	1.04	826/1	0.14
386/2	0.14	833	0.31
395	0.08	834	0.24
396	0.15	835	0.43
397	0.28	839	0.24
398	0.14	843	0.22
423	0.03	844	0.04
430	0.07	845	0.07
431	0.08	846	0.24
433	0.10	847	0.12
435	0.02	848	0.16
436	0.19	850	0.05
438/1	0.12	851	0.10
439	0.10	863	1.47
440/1	0.06	866	0.22
441	0.14	867	0.16
442	0.04	868	0.35
443	0.08	869	0.20
444	0.02	870	0.17
446	0.22	871	0.25
448	0.27	872	0.02
450	0.40	873	0.16
455	1.00	874	0.02
612	0.32	876	0.93
619	0.94	877	0.22
638	0.20	878	0.20
642	0.31	879	0.18
643	0.11	880	0.21
644	0.07	881	0.34
661	0.03	886	0.08
688	0.26	899	0.58
689	0.18	944	0.47
692	0.16	986	0.07
695	0.34	992	0.10
743/1	0.09	999	0.09
776/1	0.06	1006	0.14
778	0.24	1021	0.38
799	0.09	1029	0.30
		1030	0.06

(1)	(2)
1031	0.06
1041	0.84
1055	0.30
1060	0.13
1062	0.07
1066	0.12
1073	0.90
1074/1	0.55
1074/2	0.12
1095	0.20
1096	0.20
1102	0.42
1105	0.09
1108	0.13
1113	0.10
1115	0.11
1116	0.22
1120	0.21
1121	0.20
1122	0.26
1123	0.14
1133	0.22
1134	0.09
1136	0.18
1151/2	0.12
1158	0.05
1162	1.00
1177/1	0.12
1179	0.04
1180	0.06
1182	0.06
1183	0.19
1184	0.08
1186/1	0.27
1186/2	0.10
1188	0.32
1190	0.27
1191	0.08
1192	0.07
1213	0.20
1217/1	0.41
1218	0.06
1219	0.08
1220	0.06
1221/1	0.10
1222	0.30

(1)	(2)
1223	0.30
1224	0.38
1246	0.05
1248	0.09
1255	0.28
1256	0.42
1257/2	0.42
1258/2	0.47
1263	0.90
1264	0.08
1265	0.08
1268	0.13
1269/1	0.07
1269/2	0.13
1270	0.08
1318	0.11
1331	0.19
1332	0.07
1333	0.08
1335	0.19
1339/1	0.17
1339/2	0.17
1340	0.22
1342	0.47
1343	0.06
1344/1	0.03
1344/2	0.06
1345	0.07
1346	0.13
1347	0.28
1349	0.57
1350	0.08
1351	0.13
1352/1	0.30
1353/1	0.10
1353/2	0.10
1354	0.28
1370	0.86
1376	0.06
1377	0.88
1378	0.09
1380	0.07
1392	0.06
1397	0.15
1399	0.23
1401	0.11
1403	0.08

(1)	(2)
1404	0.08
1405	0.21
1408	0.14
1412	0.10
1421	0.32
1423	0.17
1428	0.21
1429	0.08
1430	0.26
1432	0.48
1437	0.21
1438	0.08
1441	0.21
1442	0.18
1444/1	0.09
1444/2	0.03
1448	0.06
1454	0.95
1456	0.11
1461	0.06
1463	0.25
1464	0.13
1468	0.05
1469	0.11
1477	0.10
1478	0.24
1482	0.06
1486	0.15
1487	0.05
1491	0.09
1493	0.07
1496	0.14
1497	0.09
1498	0.07
1499	0.11
1500	0.11
1501	0.03
1502	0.03
1503	0.08
1504	0.07
1505	0.08
1506	0.05
1508	0.04
1509	0.07
1510	0.08
1512	0.04
1515/1	0.15
1515/2	0.03
1516	0.17
1518	0.31
1520	0.32
1521	0.18
1524	0.17
1532	1.57
1536	0.06
1538	0.17
1573	1.52
1606	0.23
1609/1	0.14
1609/3	0.14
1610	0.04
1614	0.15
1616	0.47
1617	0.57
1623	0.11
1625	0.66
1626	0.46
1627	0.46
1630/2	0.30
1632	0.36
1633	0.09
1635	0.10
1636	0.11
1638	1.15
1639	2.02
1640	2.25
1643/1	2.72
1644	1.71
1645	0.03
1646/1	0.32
1647	0.92
1648	0.17
1649	0.30
1650	0.16
1653	0.23
1656	0.27
1657	0.41
1658	0.32
1660	0.17
1661	0.13
1662	0.73
1670	0.13
1673	0.35

(1)	(2)	(1)	(2)
1676	0.35	1807	0.29
1677	0.40	1808/1	0.21
1678	0.12	1808/2	0.32
1680	0.05	1810	0.48
1684/1	0.40	1817	0.15
1684/4	0.26	1822	0.32
1684/5	0.21	1823	0.24
1686	4.92	1827	0.72
1687	0.35	1830/2	0.20
1688	0.05	1831	0.35
1691	0.31	1849	0.09
1697	0.09	1870	0.13
1699	0.24	1875	0.23
1701	0.23	1877	0.18
1704	0.32	1880	0.35
1712	0.84	1883	0.23
1713	0.77	1886	0.23
1716	0.09	1888	0.13
1717	0.03	1889	0.22
1725	0.24	1890	3.53
1727	0.47	1896	0.22
1728	0.17	1898	0.24
1729/1	0.14	1900	0.30
1730/1	0.32	1901	0.11
1730/2	0.13	1904	0.65
1730/4	0.12	1907	0.10
1736	0.29	1908	0.11
1740	0.17	1909	0.25
1741	0.14	1910	0.41
1744	0.12	1921	0.23
1752	0.10	1926	0.60
1776	0.21	1928	0.27
1778	0.17	1931	0.12
1782	0.21	1932	0.10
1783/2	0.18	1933	0.10
1784	0.26	1934	0.10
1788/1	0.34	1935	0.19
1788/2	0.10	1937	0.24
1789/1	0.28	1941	0.40
1797	0.08	1945	0.27
1798	0.04	1947	0.19
1799	0.13	1956/1	0.27
1802	0.30	1956/3	0.18
1804	0.13	1956/4	0.27
1805	0.17	1956/5	0.17
1806	0.18	1964	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
1969	0.44	2130	0.12
[illegible]	0.10	2132	0.14
1979	0.15	2135	0.03
1982	0.17	2137	0.72
1997/1	0.75	2138	0.02
2002	0.16	2139	0.69
2003	0.25	2142	0.13
2007	0.18	2145	0.12
2013	0.04	2146	0.44
2016	0.27	2148	0.07
2019	0.23	2154	0.05
2025/1	0.15	2155	0.01
2030	0.16	2158	0.44
2032	0.04	2161	0.13
2035	0.11	2179	0.37
2038	1.29	2180	0.09
2041	0.17	2185	0.12
2046	0.21	2186	0.24
2054	0.11	2192/1	1.04
2068/2	0.17	2192/2	1.42
2070	0.12	2193	0.53
2076	0.20	2196	0.74
2077	0.19	2197	0.61
2078	0.09	2198	0.35
2080/1	0.11	2199/1	1.18
2080/2	0.06	2201	0.16
2080/3	0.05	2207	0.29
2081	0.04	2212/2	0.26
2084	0.51	2212/3	0.27
2085	0.07	2221	0.47
2086	0.26	2222	0.15
2087	0.21	2223	0.55
2092	0.27	2226	0.23
2093	0.09	2229	0.10
2094/1	0.10	2230	0.27
2094/2	0.04	2233	0.70
2098	0.11	2234	0.06
2101	0.03	2235/2	0.51
2103	0.04	2237	0.40
2105	0.59	2238	0.09
2109	0.26	2239	0.10
2110	0.14	2243	0.45
2111	0.11	2245/1	0.13
2120	0.10	2246	0.07
2123	0.24	2247	0.07
2125	0.25	2249	0.11

(1)	(2)
2250	0.11
2251	0.21
2252/1	0.24
2255	0.22
2256	0.20
2257	0.12
2259	0.12
2260	0.11
2262	0.22
2263	0.21
2265	0.45
2273	0.25
2274	0.21
2275	0.23
2277	0.24
2278	0.26
2279	0.04
2280/1	0.68
2280/2	0.61
2283	0.06
2284	0.07
2285	0.29
2286	0.06
2287	0.29
2288	0.24
2289	0.10
2290	0.10
2291	0.20
2292/1	1.01
2292/2	1.26
2292/3	1.70
2292/4	0.20
2292/5	0.20
2295	0.03
2296	0.08
2299	0.09
2300	0.17
2301	0.12
2302	0.06
2308	0.29
2461	0.15
2462	0.08
2464	0.46
2465	0.34
2466	0.81
2467	0.41
2469	0.13
2477	0.20
2479	0.44
2480	0.17
2481	0.17
2482	0.14
2483	0.16
2486	0.02
2487	0.02
2500	0.05
2501	0.10
2502	1.26
2503	0.16
2505	0.21
2506	0.55
2557	0.11
2558	0.21
2561	0.10
2562	0.27
2569	0.21
2570	0.16
2571	0.12
2573	0.11
2574	0.34
2575	0.10
2576	0.07
2577	0.11
2579	0.41
2580	1.01
2584	0.10
2585	0.13
2587	0.23
2589	0.19
2591	0.08
2593	0.19
2594	0.14
2595	0.13
2602	0.73
2621	0.08
2623	0.05
2622	0.05
2624	0.05
2690	0.02
2692	0.22
2700	0.30
2702	0.11
2703	0.03
2704	0.08

(1)	(2)
270[illegible]	0.15
2720	0.09
2721	0.18
2762	0.12
2765	0.08
2768	0.61
2771	0.31
2773	0.40
2774	0.17
2775	0.10
2787	0.06
2796	0.10
2799	0.08
2800	0.07
2808	0.12
2810	0.13
2818	0.06
2821	0.15
2826	0.33
2828	0.82
2834	0.58
2835	0.28
2836	0.22
2837	0.10
2838/1	0.01
2839	0.10
2840	0.10
2842	0.24
2852	0.19
2857/1	0.17
2861	0.33
2886	0.81
2891	1.84
2896	1.61
2897	1.31
2898	0.95
2899	1.89
2900	3.00
2902	3.00
2903	3.00
2904	2.23
2906	0.45
2907/1	0.36
2912	0.26
2913	0.26
2926/1	0.01
2928	0.13

(1)	(2)
2929/1	1.34
2930	0.06
2931	0.05
2932	0.25
2934	0.15
2935	0.27
2936	0.71
2937	0.36
2938	0.33
2939	0.32
2940	0.20
2941	0.32
2942	0.19
2943	0.30
2944	0.14
2945	0.66
2946	0.08
2947	1.03
2948	0.24
2949	0.42
2950	0.75
2951	0.22
2952	0.43
2953	0.46
2954	1.95
2955	0.30
2956	0.25
2957	0.20
2958	0.29
2959	0.05
2960	0.94
2961	0.49
2963	0.44
2964	0.06
2965	0.82
2966	0.06
2967	0.59
2968	0.94
2969	0.27
2971	0.82
2975	0.18
2976	0.14
2977	0.16
2979	0.20
2980	0.18
2981	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
2983	0.88	3138	0.35
2984	0.10	3139	0.27
2985	0.55	3141	0.30
2986	0.38	3142	0.24
2987	0.65	3143	0.36
2989	0.42	3150	0.10
2991/1	0.45	3153	0.60
2992	0.20	3154	0.22
2994	0.85	3159	0.04
2995	0.18	3160	0.04
2996	0.42	3161	0.04
2999	0.55	3162	0.14
3001	0.20	3163	0.03
3002	0.09	3165	0.03
3003	0.10	3166	0.02
3004	0.10	3167	0.02
3005	0.14	3168	0.01
3007	0.12	3169	0.03
3022	0.01	3171	0.02
3029	0.85	3172	0.03
3030	1.20	3173	0.13
3031	0.50	3174	0.16
3032	0.55	3175	0.11
3034	0.29	3176	0.10
3036	0.07	3177	0.11
3037	0.07	3178	0.08
3039	1.12	3179	0.07
3040	0.36	3180	0.10
3041	0.72	3184	0.05
3042	2.63	3185	0.05
3043	0.69	3186	0.06
3044	0.31	3187	0.27
3045	0.06	3189	0.23
3047	0.39	3190	0.35
3049	0.22	3191	0.06
3053/1	0.32	3193	0.13
3056	0.13	3194	0.15
3059	0.20	3195	0.25
3061	0.15	3196	0.09
3072	0.25	3197	0.19
3075	0.22	3198	0.21
3079	0.10	3199	0.44
3089	0.17	3200	0.20
3103/1	0.36	3201	0.46
3118	0.09	3202	0.29
3136	0.48	3203	0.44

(1)	(2)
3204	0.46
3206	0.13
3207	0.57
3210	0.54
3211	0.10
3212	0.16
3213	0.31
3215	0.72
3216	1:07
3217	0.40
3218	0.28
3219	1.02
3220	0.41
3221	0.42
3222	0.51
3223	0.45
3224	0.91
3225	0.89
3226	2.02
3227	1.06
3228	0.42
3229	0.63
3230	0.16
3231	0.25
3232	0.69
3233	0.26
3234	0.16
3235	0.21
3236	0.17
3237	0.01
3238	0.24
3239	0.22
3240	0.56
3241	0.56
3242	0.58
3243	1.81
3245	0.50
3248	0.35
3255	0.47
3256	0.06
3257	0.11
442/3262	0.08
208/3263	0.01
2899/3278	0.20
2467/3281	0.58
2966/3283	0.10
3228/3284	0.07
423/3289	0.03
1704/3290	0.28
1781/3295	0.06
1478/3296	0.38
योग 860	262.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं योजना अन्तर्गत कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.